

समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

—: आम सूचना :-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम- 2013 की धारा-16(1) के अधीन एवं झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली- 2015 के नियम- 25(1) के अंतर्गत गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु कुल रकवा- 45.86 एकड़ के अंतर्गत अंचल- महागामा के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करने हेतु मौजावार सर्वेक्षण एवं पुनर्वासन स्कीम तैयार करने की तिथि निर्धारित की जाती है :-

क्र०	अंचल	पंचायत	मौजा का नाम	थाना नं०	दिनांक	समय	स्थान
1	महागामा	धर्मोडीह	डायलकित्ता	742	12.07.2019	11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक	पंचायत भवन, धर्मोडीह
2		धर्मोडीह	पीपराकित्ता	743			
3		धर्मोडीह	रघुनाथकित्ता	770			
4		धर्मोडीह	मालगोरिया	345			
5		धर्मोडीह	तेतरिया	749			
6		घाट गम्हरिया	डलावर	735	16.07.2019		पंचायत भवन, घाट गम्हरिया
7		घाट गम्हरिया	नुनाजोर	750			
8		घाट गम्हरिया	भागन	751	17.07.2019		पंचायत भवन, घाट गम्हरिया
9		घाट गम्हरिया	कैथिया	752			
10		मुरलीटोक	लखीपुर	725/733	18.07.2019		पंचायत भवन, मुरलीटोक

उक्त परियोजना से प्रभावित भू-स्वामियों, भू-अधिवासियों एवं व्यक्तियों/प्रभावित क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों/भूमिहीन कृषक मजदूरों से अनुरोध है कि उपरोक्त तिथियों को सर्वेक्षण करने वाली टीम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कष्ट करेंगे।

अपर समाहर्ता,
गोड्डा। 26/06/19

ज्ञापांक : 589 / भूअ० गोड्डा दिनांक : 26/06/19

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथियों को संबंधित मौजा अंतर्गत सर्वेक्षण करने वाली टीम के साथ विधि-व्यवस्था/सुरक्षा करने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्ता,
गोड्डा। 26/06/19

ज्ञापक : 589 / भूअ0 गोड्डा दिनांक : 26/06/19

- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महागामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को दो स्थानीय भाषा के क्षेत्रीय संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रेस कतरन को जिला भू-अर्जन कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र के मुखिया/ग्राम पंचायत प्रतिनिधिगण को आम सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे एवं तामिला प्रति जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि आम सूचना को सूचना-पट पर प्रदर्शित करते हुए प्रचार-प्रसार डुगडुगी बजाकर प्रभावित क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि तिथिवार सर्वेक्षण करने वाली टीम को सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।


अपर समाहर्ता,
गोड्डा।